

सीएसआईआर - केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
सैक्टर - 30 सी , चंडीगढ़ 160030

सं. सीएसआईओ/बिल(मेडिकल)/2017

दिनांक : 27.01.2017

कार्यालय ज्ञापन

बिषय : सीएसआईआर- सीएसआईओ स्टाफ सदस्यों, पेंशनभोक्ताओ और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को क्रेडिट आधार पर दवाइयो की आपूर्ति ।

निदेशक सीएसआईआर-सीएसआईओ ने सीएसआईआर- सीएसआईओ स्टाफ सदस्यों, पेंशनभोक्ताओ और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / महिला चिकित्सा अधिकारी के परामर्श पर दिनांक 19.01.2017 से एक वर्ष की अवधि (19.01.2017 से 18.01.2018) के लिए निम्नलिखित निबंधन एव शर्तों पर क्रेडिट आधार पर दवाइयो की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित कैमिस्टों के पैनल को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

**M/s. Jai Ambika Medical Store
SCO 361, Sector 32-D
Chandigarh**


निबंधन एव शर्तें :

1. कैमिस्ट सीएसआईआर- सीएसआईओ स्टाफ, पेंशनरो और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी की गई परामर्श पर्ची प्रस्तुत करने पर आवश्यकतानुसार बताई गयी जगह पर अथवा चिकित्सा अधिकारियों के निदेशानुसार तत्काल दवाइयो की आपूर्ति करेगे ।
2. कैमिस्ट स्टाफ, पेंशनरो तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को दवाए देने के बाद परामर्श पर्चियों के पिछली ओर एवं इन्वायसो/ बिलो पर उनके हस्ताक्षर (स्टाफ/पेंशनरो की आई डी संख्या सहित) लेंगे ।
3. समस्त प्रमार्शित पर्चीयो एव रसीद सहित व मुहर लगे समेकित बिल (तीन प्रतिया) इन्वायस के साथ सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय मे इस जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे कि रोगियो को उपलब्ध करवाई गई दवाए परामर्श पर्चीयो के

Contd...p/2...

अनुसार है तथा बिलो पर अधिकारी ने विधिवत संस्तुति के है | संबन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा बिल की जांच/सत्यापन के बाद कार्यालय द्वारा भुगतान के लिए कार्यवाई की जाएगी | कैमिस्ट स्टाफ सदस्यो एव उनके परिवार के आश्रित सदस्यो तथा पेंशनरो एव उनके परिवार के आश्रित सदस्यो के लिए अलग- अलग समेकित बिल प्रस्तुत करेगे |

4. यह संविदा दिनांक 19.01.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा निदेशक सीएसआईआर- सीएसआईओ द्वारा एक माह का नोटिस देकर इसे कभी भी खत्म किया जा सकता है |
5. सीएसआईआर-सीएसआईओ चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना एवजी दवा स्वीकार नहीं की जाएगी |
6. दवाओ की कटी हुई स्ट्रिप्स एव खुली दवाए तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक उन पर बैच नंबर एव प्रयोग निषेध तिथि न लिखी हो |
7. कैमिस्ट ऐसा प्रमाणपत्र देगे कि प्रत्येक बिल मे लिया गया मूल्य प्रकाशित मूल्य (एमआरपी) से अधिक नहीं है |
8. आपूर्ति की जाने वाली दवाए नवीनतम बैच की होनी चाहिए तथा इसकी समाप्ति तिथि आपूर्ति तिथि से कम से कम छः माह बाद तक की होनी चाहिए |


(सुकेश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

प्रति :-

1. लेखा अनुभाग : बिल की कुल राशि मे से @ 26.14% की कटौती करके बिल पास करने हेतु
2. सभी अनुभाग/प्रभाग प्रमुख - इन्टरनेट के माध्यम से
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / महिला चिकित्सा अधिकारी
4. प्रभागी, एमआईएस - सीएसआईओ इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु
5. समस्त सूचना पट्ट
6. निजी सचिव, निदेशक

**CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR 30-C CHANDIGARH- 160030**

No.CSIO/Bill(Med.)/2017

January 27, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Supply of medicines on credit basis to CSIO Staff, Pensioners and their dependent family members – reg.**

Director CSIR-CSIO has been pleased to empanel the following chemist for supply of medicines to CSIR-CSIO staff, pensioners and their dependent family members on the prescription of Senior Medical Officer/Lady Medical Officer of CSIR-CSIO Clinical Centre on credit basis for a period of one year from the date of award letter i.e. w.e.f. 19.01.2017 to 18.01.2018 on the following terms and conditions :

**M/s. Jai Ambika Medical Store
SCO 361, Sector 32-D
Chandigarh**

Terms and Conditions :

1. The Chemists will make the supply of the day to day requirements of medicines at the designated place in CSIO Clinical Centre to the staff, pensioners, family pensioners and their dependant family members immediately against the prescription slip issued by Medical Officers of CSIR-CSIO Clinical Centre directly or as directed by the Medical Officers of CSIR-CSIO.
2. The Chemists will issue medicines to staff members/pensioners and their family members and get the signatures of patients (along with ID Nos of the Staff Members/pensioners) on reverse of the prescription slips and invoices/bills.
3. All the prescription slips and invoices along with pre-receipted and stamped consolidated bills in triplicate would be submitted in CSIR-CSIO Dispensary for certification/verification that the medicines supplied to the patients are as per prescription and invoices have been duly recommended by him/her. After certification/verification by the concerned Medical Officers of CSIR-CSIO, the bills will be processed for payment by the office. The consolidated bills would be prepared by the Chemists separately for regular staff/their family members and pensioner/their family members. The payments would be credited to the Bank Account of Chemist through electronic mode within 30 days of receipt of the certified bills.

Contd...p/2...

4. The period of contract will be for one year w.e.f. 19.01.2017 and can be terminated at any time on one month's notice by the Director, CSIR-CSIO depending upon performance.
5. Substitute medicines will not be accepted unless permitted by the Medical Officers of CSIR-CSIO Dispensary.
6. Cut strips and loose medicines will be accepted only after showing batch number and expiry date.
7. The Chemists will record a certificate that the price charged in each bill is not more than the printed price (MRP).
8. The supplied medicines should be of latest batch and their expiry date should not be less than six month from the date of supply.


(Sukesh Kumar)
Section Officer

Copy to :

1. Finance & Account Section : with the request to pass the bills after deduction of discount @ 26.14%.
2. All Incharge Verticals/Horizontal/Division/Sectional - through Intranet
3. Sr. Medical Officer/Lady Medical Officer
4. Head MIS - with the request to upload on CSIR-CSIO intranet.
5. All Notice Boards
6. PS to Director